

कार्यालय मुख्य अभियंता (पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या-1355/ग्रा0अ0से0/ठेके0पंजी0/ब0स0-1/2018-19.दि0-22-2-2019

पंजीकरण संख्या-484/श्रेणी-'बी'-मार्ग/2019

:-पंजीकरण प्रमाण-पत्र :-

अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल अलीगढ़ के पत्र संख्या-1599/दिनांक-21-02-2019 से प्राप्त मैसर्स ए0एस0 एसोसिएट्स, प्रो0श्री सुमित माथुर, निवासी-1/217, रावणटीला, संजय गाँधी कालोनी, जनपद-अलीगढ़ के 'बी' श्रेणी में पंजीकरण सम्बन्धी प्रपत्रों के सत्यापन/संस्तुति के आधार पर मैसर्स ए0एस0 एसोसिएट्स, प्रो0श्री सुमित माथुर, निवासी-1/217, रावणटीला, संजय गाँधी कालोनी, जनपद-अलीगढ़ को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने मार्ग निर्माण कार्य के लिये श्रेणी 'बी' में ठेकेदारी हेतु दिनांक-30-06-2021 तक की अवधि के लिये एतद्वारा पंजीकृत किया जाता है।

यह प्रमाण-पत्र ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पश्चिमी क्षेत्रान्तर्गत उत्तर प्रदेश के राजस्व मण्डल बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, धाम बाँदा एवं झाँसी के जनपदों में मान्य होगा तथा इसकी वैधता दिनांक-30-06-2021 के बाद स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-अलीगढ़ के कार्यालय में वैधता तिथि समाप्त होने के दो माह पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

22.2.19

(अनिल कुमार गर्ग)
मुख्य अभियंता (प0क्षेत्र)
(गिरिश पाण्डेय)
वरिष्ठ सहायक

पत्रांक एवं दिनांक-उपरोक्तानुसार।

प्रातिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-अलीगढ़।
- 2- अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-अलीगढ़।
- 3- सनस्त अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग (पश्चिमी क्षेत्र), उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित आदेश की प्रति अपने स्तर से अधीनस्थ प्रखण्ड/पी0आर्ट0यू0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 4- मुख्य अभियंता (पूर्वी क्षेत्र) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- निर्देशक एवं मुख्य अभियंता (नियोजन) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 6- मैसर्स ए0एस0 एसोसिएट्स, प्रो0श्री सुमित माथुर, निवासी-1/217, रावणटीला, संजय गाँधी कालोनी, जनपद-अलीगढ़ मो0न0-9457733006 ई-मेल-SUMITMATHUR4729@gmail.com को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यदि प्रस्तुत अभिलेखों में आप द्वारा किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन किया जाता है तो उसकी सूचना ससंगत अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों सहित तत्काल इस कार्यालय को दी जाए तथा अभिलेखों में इंगित फ्लो/ई-मेल पर भेजा गया पत्र आपको प्राप्त हुआ माना जाएगा साथ ही फर्म का हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता अवधि दि0-12-03-2020 एवं वरिष्ठ प्रमाणपत्र की वैधता तिथि दि0-30-06-2021 है, उक्त हैसियत प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि समाप्त होने के एक माह पूर्व इसकी नवीन प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराये, अन्यथा फर्म का पंजीकरण निरस्त समझा जायेगा। उक्त वैधता तिथि के पश्चात आप निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले पायेंगे।
- 7- अपर अभियंता (प्राविधिक) कार्यालय मुख्य अभियंता (पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि फर्म/ठेकेदार के पंजीकरण की इण्ट्री वेबसाइट अपलोड करता सुनिश्चित करें।



22.2.19
मुख्य अभियंता (प0क्षेत्र)
(गिरिश पाण्डेय)
वरिष्ठ सहायक